आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

23/7/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-03/2017-18

पतरस कच्छप,..आवेदक।

बनाम

लाल गोपाल नाथ शाहदेव .... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक पतरस कच्छप पिता–स्व० विक्टर कच्छप, निवासी ग्राम–खिजरी, थाना–नामकोम, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी लाल गोपाल नाथ शाहदेव, निवासी ग्राम–सदाबहार चौक, थाना–नामकुम, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
खिजरी	219	56	983	15 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आवेदक की खतियानी जमीन है। खतियान में खतियानी रैयत बन्धना उराँव वल्द लेम्बा उराँव का नाम कायमी दर्ज है। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन वर्णित भूमि पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण–पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक अपने शपथ–पत्र में वंशावली दर्शाते हुए कहते हैं कि खतियान में खतियानी रैयत बन्धना उराँव वल्द लेम्बा उराँव के नाम कायमी दर्ज है। बन्धना उराँव अपने पीछे डिबरू उराँव, चुलु उराँव (नावल्द), लुंगका उराँव (नावल्द) एवं जोसेफ उराँव का नाम दर्ज है। डिबरू उराँव अपने पीछे इलयस कच्छप एवं इगनेश कच्छप को छोड़ गये। इलयस कच्छप अपने पीछे डेविड कच्छप, एवं समीर कच्छप को छोड़ गये। जोसेफ उराँव अपने पीछे जोन कच्छप एवं विक्टर कच्छप को छोड़ गये। जोन कच्छप अपने पीछे सुशील कच्छप एवं सुनिल कच्छप को छोड़ गये। विक्टर कच्छप अपने पीछे पतरस कच्छप (आवेदक), प्रेम कच्छप, एवं जोन कच्छप को छोड़ गये। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। खतियानी रैयत डिबरू उराँव के नाम पर पंजी–II में नाम दर्ज है तथा कुल

M: 23/7/25

कृ०पृ०उल्टे

रकवा—02 एकड़ 95 डिसमिल भूमि का लगान रसीद 2017—18 तक कटा हुआ है। आगे कहते हैं कि विपक्षी जमीन को जबरन हड़प लिए हैं, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए। आवेदक लगातार न्यायालय में उपस्थित हो रहे थे, किंतु कुछ समय से अनुपस्थित हैं। आवेदक को निर्धारित तिथि में उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, किंतु न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

विपक्षी को न्यायालय से अनेक बार नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु न्यायालय में स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को इस केस में कुछ नहीं कहना है। विपक्षी की ओर से कभी कोई कागजात अपने पक्ष के समर्थन में दाखिल नहीं किए हैं।

सरकारी अधिवक्ता अपने बहस में कहते हैं कि वर्णित भूमि खतियान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की है। इसलिए यह जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदक को वापस होना चाहिए।

अतः आवेदक के कागजातों के अवलोकन से एवं सरकारी अधिवक्ता की ओर से बहस को देखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहूँचें हैं कि वर्णित भूमि आदिवासी खाते की है तथा विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत वर्णित जमीन को आवेदक को वापस किया जाता है। यदि वर्णित भूमि पर कोई संरचना है, तो विपक्षी 03 माह के अन्दर हटाना सुनिश्चित करें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, नामकोम, राँची को दखल—देहानी हेतु आदेश निर्गत करें। यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित खतियानी रैयत के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

23/7/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

23/7/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः— 255 (ii) **दिनांकः—** 23/07/25

प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, नामकोम, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल—देहानी हेतु प्रेषित।

23/7/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.10.11 16:09:54 +05:30
Location: 192.168.132.39